(24)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक:प.1(3)राज–6/2011/17 जयपुर, दिनांक 11-3-14

समस्त कलक्टर,
राजस्थान।

–: परिपत्र :–

विषय :– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 के संबंध में निर्देश।

भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम 2013 कहा गया है) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ है। इस अधिनियम के प्रवृत्त, होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अनुसार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) (जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम, 1894 कहा गया है) निरसित किया गया है।

राज्य में अधिनियम 1894 के अन्तर्गत विभिन्न जिलो में अनेक मामलो में भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित रही होगी। अतएव् ऐसी प्रचलित कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही के लिए इस परिपत्र के द्वारा ऐसी स्थितियां जहां अधिनियम 1894 के अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है किन्तु पूर्ण नहीं हुई है और आगे की कार्यवाही अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत की जाना अपेक्षित है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

अधिनियम, 2013 की धारा 24 निम्नानुसार :–

24. Land acquisition process under Act No. 1 of 1894 shall be deemed to have lapsed in certain cases.-	**24. कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन प्रक्रिया का व्यपगत समझा जाना:–**
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, in any case of land acquisition proccedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894.-	(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरम्भ की गयी भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामलें मे :–
(a) where no award under section 11 of the said Land Acquisition Act has been made, then, all provisions	(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम

of this Act relating to the determination of compensation shall apply; or (b) where an award under said section 11 has been made, then such proceedings shall continue under the provisions of the said Land Acquisition Act, as if the said Act has not been repealed. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), in case of land acquisition proceedings initiated under the land Acquisition Act, 1894, where an award under the said section 11 has been made five year or more prior to the commencement of this Act but the physical possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government, if it so chooses, shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act: Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be enitled to compensition in accordance with the provisions of this Act.	के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से, संबंधित सभी उपबन्ध लागू होगें:, या (ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया गया है । (2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामलें में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पांच वर्ष के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया गया है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह व्यपगत हो गयी है और समुचित सरकार यदि ऐसा चाहती है, तो वह इस अधिनियम के उपबधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नये सिरे से आरम्भ करेगी । परन्तु जहां अधिनिर्णय किया गया है और भूमि जोत में से अधिकतम के संबंध में प्रतिकर का निक्षेप लाभार्थियों के खाते में निक्षेप नहीं किया गया है, वहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर के लिए हकदार होगें ।

अधिनियम, 2013 की उक्त धारा 24 की उपधारा (1) (क) के अनुसार 01 जनवरी 2014 की स्थिति में अधिनियम 1894 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के मामलों में यदि अधिनियम 1894 की धारा 11 के अधीन अवार्ड पारित नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में प्रतिकर (मुआवजा) राशि का निर्धारण अधिनियम, 2013 के प्रतिकर निर्धारण

संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावेगा। यदि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत अवार्ड पारित किया जा चुका है तो ऐसे मामलों में अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा (1) (ख) के अनुसार अधिनियम 1894 के अतर्गत इस प्रकार कार्यवाही चलती रहेगी जैसे कि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित ही नहीं हुआ है ।

अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा (2) के अनुसार यदि किसी मामले में अधिनियम 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत चुकी है और ऐसे मामलों में भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे सभी मामले स्वतः व्यपगत समझे जाएंगे और यदि ऐसे मामलों में भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नये सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही करनी होगी ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि अवार्ड पारित हो चुका है और कुल अर्जित भूमि के अधिकतम हितग्राहियों के खाते में प्रतिकर की राशि जमा नहीं की गयी है तो अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत भू–अर्जन के लिए जारी प्रारंभिक सूचना के समय के सभी हितग्राही अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार होगे अर्थात ऐसे मामलों में प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार करते हुए सभी हितग्राहियों को भुगतान करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन हितग्राहियों को प्रतिकर की राशि पूर्व में अधिनियम, 1894 के अनुसार पारित अवार्ड के अनुक्रम में भुगतान की जा चुकी है, ऐसी भुगतान की गयी राशि को अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार संगणित राशि से समायोजित करते हुए शेष राशि भुगतान की जाएगी। उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आपको उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

Sd/-

(तपेश पवार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव समस्त विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
3. आयुक्त भू–प्रबंध विभाग जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
5. रविरा राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।

प्रमुख शासन सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि को निःशुल्क समर्पित करने के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट

1. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.6(19)नविवि/89/जयपुर दिनांक 13.12.2002 के तहत सैक्टर रोड मे अवाप्त भूमि की एवज मे 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के प्रावधान किये गये है। (परिशिष्ट"अ")।
2. जविप्रा के कार्यालय आदेश क्रमांक डी–210 दिनांक 31.3.04 की कार्यकारिणी बैठक दिनांक 21.7.03 के एजेण्डा संख्या 50:6 के अनुसार सैक्टर रोड 80 फीट एवं इससे अधिक चौडाई के सडक के सहारे दोनो ओर सडक की आधी चौडाई के बराबर व्यावसायिक भू–पट्टी रखी जावेगी। सडक तथा पट्टी मे आने वाली खातेदार की कुल भूमि के 25 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्ड के पट्टे खातेदार को निःशुल्क दिये जावेगें (परिशिष्ट "ब")।
3. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(29)नविवि/3/04 दिनांक 27.10.05 के अनुसार सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि के बजाय 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट "स")।
4. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(11)नविवि/14 दिनांक 22.12.14 के अनुसार योजना मे 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति मे इस भूमि के बदले दुगुनी अर्थात् 10 प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटित की जावेगी परन्तु यह भूमि अवाप्त की गई भूमि जितनी चौडी सडक पर स्थित है उसी चौडी सडक पर या उससे कम चौडी सडक पर दी जावेगी (परिशिष्ट "द")।
5. जविप्रा की कार्यकारी समिति मे प्रस्तुत एजेण्डा नोट 199.23 दिनांक 06.11.15 के अनुसार सैक्टर रोड के लिये भूमि समर्पित की गई है जहां सैक्टर कॉमर्शियल पट्टी का प्रावधान नही है एवं समर्पणकर्ता मुआवजे के रूप मे 20 प्रतिशत आवासीय, 5 प्रतिशत व्यावसायिक के स्थान पर पूरी भूमि व्यावसायिक के रूप मे चाहता है तो उसे कुल 15 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि मुआवजे के रूप मे दे दी जावेगी (परिशिष्ट "य")।
6. जविप्रा के परिपत्र क्रमांक डी–525 दिनांक 04.12.15 के अनुसार समर्पणकर्ता खातेदार निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, समर्पणनामा आदि संलग्न कर नागरिक सेवा केन्द्र मे प्रस्तुत करने पर जोन द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट मे भरकर समर्पित भूमि के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जावेगी (परिशिष्ट "र")।